

**कार्यालय, जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद।**  
**(निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग)**

**आदेश**

आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन-2015 के अवसर पर निर्वाचन व्यय अनुश्रवण के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 में वर्णित प्रावधानों के तहत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नये व्यय अनुश्रवण तंत्र को कार्यरूपित किया गया है एवं जिला स्तर पर उसे गठित करने का निदेश दिया गया है ताकि निर्वाचन व्यय से संबंधित बिन्दुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा सके एवं धनबल के दुरुपयोग को रोका जा सके। उक्त निदेश के आलोक में औरंगाबाद जिला अवस्थित छः विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र यथा 219-गोह, 220-ओबरा, 221-नबीनगर, 222-कुटुम्बा(अ.जा.), 223-औरंगाबाद, 224-रफीगंज के लिए सहायक व्यय प्रेक्षक की नियुक्ति के साथ-साथ वीडियो निगरानी टीम, वीडियो अवलोकन टीम, लेखा टीम, व्यय अनुश्रवण कोषांग, जिला व्यय अनुवीक्षण समिति एवं शिकायत अनुश्रवण नियंत्रण कक्ष-सह-कॉल सेन्टर का निम्नानुसार गठन किया जाता है-

**सहायक व्यय प्रेक्षक-**

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	सहायक व्यय प्रेक्षक का नाम एवं पदनाम
1	219- गोह	श्री मारुत नन्दन झा, उप प्रबंधक(वित्त), नबीनगर पावर परियोजना, नबीनगर, मो० 7781005888
2	220- ओबरा	श्री अरविन्द कुमार चौबे, उप प्रबंधक(वित्त), नबीनगर पावर परियोजना, नबीनगर, मो० 7033292568
3	221- नबीनगर	श्री सुधीर मिश्रा, वरीय प्रबंधक (वित्त), भारतीय रेल बिजली कं०, नबीनगर, मो० 9431253456
4	222-कुटुम्बा(अ.जा.)	श्री डी०के० दत्ता, सहायक प्रबंधक (वित्त), भारतीय रेल बिजली कं०, नबीनगर, मो० 9473196001
5	223- औरंगाबाद	मो० शब्बीर, वाणिज्य-कर पदाधिकारी, औरंगाबाद। मो० 8969403580
6	224- रफीगंज	श्री जितेन्द्र सिंह, सहायक प्रबंधक (वित्त), भारतीय रेल बिजली कं०, नबीनगर, मो० 9471701270

**सहायक व्यय प्रेक्षक के कर्तव्य-**

- वीडियो सी.डी. रिपोर्ट देखना।
- प्रत्येक अभ्यर्थी से संबंधित रिपोर्ट एवं शिकायतों को पढ़ना।
- छाया प्रेक्षण रजिस्टर एवं अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर का अध्ययन करना।
- सुनिश्चित करना कि व्यय अनुवीक्षण में लगी टीमों से प्रत्येक अभ्यर्थी के संबंध में व्यय से संबंधित रिपोर्ट/आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं और अभ्यर्थी के निर्वाचन व्यय को दिन-प्रतिदिन के लेखाओं में उचित रूप से दर्शाए गये हैं।

- भ्रष्ट आचरण की शिकायत होने पर शीघ्र कार्रवाई के लिए उड़नदस्तों को हस्तांतरित करना एवं व्यय प्रेक्षक को सूचित करना।
- यदि दस्तों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है या कार्रवाई करने में देरी की जाती है तो इसे व्यय प्रेक्षक के नोटिस में लाना।
- सभी कार्यों की दैनिक रिपोर्ट, अनुलग्नक-6 में व्यय प्रेक्षक को प्रतिदिन प्रस्तुत करना।
- निर्वाचन क्षेत्र में संवेदनशील घटनाओं और सार्वजनिक रैलियों की वीडियोग्राफी का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना।
- भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभी संगत निदेशों विशेष कर पत्र 76 दिनांक 29.05.15/अनुदेश 2015/ई0ई0पी0एस0/खण्ड-II अनुलग्नक 73, 97, पत्र दिनांक 29.05.15 अनुलग्नक 74 और पत्र दिनांक 09.06.15 अनुलग्नक 96 का दृढ़ता से अनुपालन करना है।

### वीडियो सर्विलांस टीम (V.S.T.)—

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सहयोगी
1	219— गोह	श्री चंदन कुमार सुमन, कनीय अभियंता, पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद, मो० 9431150947	एक वीडियोग्राफर
2	220— ओबरा	श्री उपेन्द्र प्रसाद, कनीय अभियंता पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद, मो० 8298342610	एक वीडियोग्राफर
3	221— नबीनगर	श्री जगदीश बैठा, कनीय अभियंता पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद, मो० 9430377854	एक वीडियोग्राफर
4	222— कुटुम्बा(अ.जा.)	श्री संजय कुमार, कनीय अभियंता पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद मो० 9470468577	एक वीडियोग्राफर
5	223— औरंगाबाद	श्री राम उग्रह, कनीय अभियंता पथ प्रमण्डल, औरंगाबाद, मो० 8987250948	एक वीडियोग्राफर
6	224— रफीगंज	श्री नागेन्द्र कुमार, कनीय अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण औरंगाबाद, मो० 9386188034	एक वीडियोग्राफर

इस टीम के लिए डिजिटल कैमरा सहित वीडियोग्राफर जिला निर्वाचन शाखा से एवं वाहन, वाहन प्रबंधन कोषांग से उपलब्ध कराया जायेगा।



## वीडियो सर्विलांस टीम (V.S.T.) के कर्तव्य—

- शूटिंग के प्रारंभ में घटना का नाम और प्रकार, तारीख, स्थान और घटना का संचालन करने वाली पार्टी और अभ्यर्थी का नाम स्वर प्रणाली में रिकार्ड करना।
- वाहनों/घटनाओं/पोस्टरों/कट-आउट का इस तरह से वीडियो लेना कि प्रत्येक वाहन का साक्ष्य, उसका निर्माण और निबंधन संख्या, फर्नीचर संख्या, रोस्ट्रम एवं पण्डाल का आकार, बैनर, कट-आउट इत्यादि स्पष्ट दिखाई दे जिससे व्यय का अनुमान लगाया जा सके। यदि ऐसे वाहन रैली के स्थल के बाहर पार्क किए गए हैं तो जहां तक सम्भव हो, ड्राइवर एवं पैसेन्जर का बयान भी रिकार्ड कर लेना चाहिए, जिससे यह सिद्ध हो सके कि वाहन का प्रयोग निर्वाचन के लिए ही किया गया है।
- भाषण तथा अन्य घटनाओं को रिकॉर्ड करना।
- संकेत पत्र के साथ रिकॉर्ड की गई सी.डी. को वीडियो निगरानी टीमों को दिया जाना। वीडियो सी.डी. में पहचान संख्या, दिनांक, कर्मचारी या अधिकारी का नाम होगा और इसे हमेशा संकेत पत्र के साथ रखा जाएगा।
- भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के सभी संगत निदेशों का दृढ़ता से अनुपालन करना।

## वीडियो अवलोकन टीम(V.V.T.)—

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सहयोगी का नाम एवं पदनाम
1	219— गोह	श्रीमति शमीमा परवीन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गोह, मो० 9431005187	श्रीमति बेबी कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, गोह मो० 7250941773
2	220— ओबरा	श्रीमति शशि कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ओबरा, मो० 9431005192	श्रीमति शुभ्रा ज्योतिमयी, महिला पर्यवेक्षिका, ओबरा, मो० 9431403142
3	221— नबीनगर	श्रीमति सरोज हंसदा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, नबीनगर, मो० 9431005191	श्रीमति गुड़िया कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, नबीनगर, मो० 9308518868
4	222— कुटुम्बा(अ.जा.)	श्रीमति संध्या कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, हसपुरा, मो० 9431005188	श्रीमति इन्दु कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, हसपुरा, मो० 7070184068
5	223— औरंगाबाद	श्रीमति ममता वर्मा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, देव, मो० 9431005186	श्रीमति लिली कुमारी, महिला पर्यवेक्षिका, देव, मो० 9572359626
6	224— रफीगंज	श्रीमति श्वेता सिंह, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बारुण, मो० 9431005184	श्रीमति मधुमिता सिंह, महिला पर्यवेक्षिका, बारुण, मो० 7870881870

